अनुदान संख्या 51 – गृह मंत्रालय
GRANT No. 51–MINISTRY OF HOME AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*10,00*		*20,00*	*18,13*	*–1,87*
पूरक	*Supplementary*	*10,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	889,17,00		1144,55,00	1069,67,52	–74,87,48
पूरक	Supplementary	255,38,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					55,53,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			70,23,00	53,07,75	–17,15,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,82,38

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(1.87 लाख रु.)* अक्तूबर, 2008, में प्राप्त किए गए *10.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 19 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश मे कुल बचतें (7487.48 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 मे प्राप्त किए गए 25538.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 29 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(Rs.1.87 lakhs)* constitued 19 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.10.00 lakhs* obtained in October, 2008 and 9 percent of the total sanctioned provision

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.7487.48 lakhs) constitued 29 percent of the supplementary grants of Rs.25538.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 7 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	10158.00			
पू.	S.	3305.00	13746.98	12642.12	–1104.86
पु.	R.	283.98			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	55511.00			
पू.	S.	17624.00	71067.25	71227.55	+160.30
पु.	R.	–2067.75			
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.	13067.00			
पू.	S.	4609.00	15848.07	15877.99	+29.92
पु.	R.	–1827.93			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	9726.00	7883.25	6893.41	–989.84
पु.	R.	–1842.75			

(I) 3354.00 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3304.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.3354.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.3304.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं का सुदढ़ीकरण'' - 500.00 लाख रु. संबंधित विभाग से स्कीम का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान'' -

(क) ''चुनाव - अन्य अनुदान - संसद और राज्य विधान सभा चुनावों के दौरान होम गार्डों की तैनाती'' - 200.00 लाख रु. राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) ''संसाधनों के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए अनुदान - नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय - राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण'' - 2001.00 लाख रु. राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम का व्यय वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(ग) ''अन्य प्रशासनिक सेवाएं - केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अदायगियां - अन्य अधिनियम और विनियम'' - 103.00 लाख रु. केंद्रीय अधिनियमों को लागू करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(घ) ''अन्य प्रशासनिक सेवाएं - नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा के पुनर्गठन के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति''- 500.00 लाख रु. व्यय वित्त समिति से स्कीम का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - संसदीय राजभाषा समिति'' - 278.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 308.00 लाख रु.

(A) Major Head "2070" – "Fire Protection and Control – Strenthening of Fire and Emergency Services" – Rs.500.00 lakhs – due to non-receipt of approval of the scheme from concerned department.

(B) Major Head "3601"– "Non-Plan Grants" -

(a) "Elections – Other Grants – Deployment of Home Guards during the Parliament and State Assembly Elections" – Rs.200.00 lakhs - due to non-receipt of reimbursement claims from State Governments.

(b) "Grants to cover gap in resources – Directorate General of Civil Defence – Modernisation of Fire Services in States" – Rs.2001.00 lakhs - due to non-receipt of approval of scheme for modernisation of fire services in States from Expenditure Finance Committee.

(c) "Other Administrative Services – Payments to States/UTs for Administration of Central Acts and Regulations – Other Acts and Regulations" – Rs.103.00 lakhs – due to non-receipt of claims from various State Governments for administering Central Acts.

(d) "Other Administrative Services – Civil Defence – Reimbursement to States for revamping of Civil Defence" – Rs.500.00 lakhs – due to non-receipt of the approval of the scheme from Expenditure Finance Committee

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2052" – "Secretariat – Parliamentary Committee on Official Language" - the original provision of Rs.278.00 lakhs was

कर दिया गया। तथापि, 139.36 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) संसदीय समिति के सदस्यों का विदेश दौरा रद्द किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2070'' -

(क) ''आंचलिक परिषदें - अंतरराज्यीय परिषदें'' - 444.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 47.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 491.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 165.57 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) स्मार्ट सरकारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कार्यकारी समूह को नियुक्त न किए जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(ख) ''नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा महानिदेशक'' - 359.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 389.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 185.20 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) विज्ञापन के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज'' - 219.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 55.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 274.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 75.26 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) लेखन सामग्री और मुद्रण सामग्री की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''जनगणना - अन्य व्यय'' -

(क) ''परिगणन'' - 55.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 18.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर

augmented to Rs.308.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.139.36 lakhs (including supplementary grant) - due to cancellation of foreign trip of the Members of Parliamentary Committee.

(B) Major Head "2070" -

(a) "Zonal Councils – Inter State Council" – the original provision of Rs.444.00 lakhs was augmented to Rs.491.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.47.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.165.57 lakhs (including supplementary grant) – due to non-appointment of working group to submit a report on smart Governments and economy measures.

(b) "Civil Defence – Director General of Civil Defence" - the original provision of Rs.359.00 lakhs was augmented to Rs.389.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.185.20 lakhs (including supplementary grant) – due to requirement of less funds towards advertisement and economy measusres.

(c) "Fire Protection and Control – National fire Service College" - the original provision of Rs.219.50 lakhs was augmented to Rs.274.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.55.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.75.26 lakhs (including supplementary grant) – due to non-finalisation of proposal for purchase of stationery and printing materials and economy measures.

(C) Major Head "3454" – "Census – Other Expenditure" -

(a) "Enumeration" - the original provision of Rs.55.00 lakhs was augmented to Rs.73.00

73.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 64.18 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(ख) ''जनगणना में आंकड़ा प्रसार कार्यकलापों का आधुनिकीकरण'' - 92.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 23.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 115.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 24.16 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(ग) ''भारत का महापंजीयक कार्यालय में प्रशिक्षण इकाई'' - 34.90 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 40.90 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 13.05 रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुईं।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय'' -

(क) ''गृह मंत्रालय'' - 8542.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3013.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 11555.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, व्यावसायिक सेवा और लघु कार्य के लिए अभिकरण को सहमत राशि की अदायगी न किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत के कार्य की धीमी प्रगति किए जाने के कारण 453.71 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''स्वापक नियंत्रण ब्यूरो'' - 1338.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 262.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1600.00 लाख रु. कर दिया गया

lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.18.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.64.18 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(b) “Modernisation of Data Dissemination Activities in Census” - the original provision of Rs.92.50 lakhs was augmented to Rs.115.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.23.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.24.16 lakhs (including supplementary grant); and

(c) “Training Unit in the O/o RGI” - the original provision of Rs.34.90 lakhs was augmented to Rs.40.90 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.13.05 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head “2052” – “Secretariat” –

(a) “Ministry of Home Affairs” – the original provision of Rs.8542.00 lakhs was augmented to Rs.11555.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3013.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.453.71 lakhs – due to non-payment to the agency of the amount agreed upon towards professional service and minor work and slow progress of repair work by Central Public Works Department.

(b) “Narcotics Control Bureau” - the original provision of Rs.1338.00 lakhs was augmented to Rs.1600.00 lakhs by

जो, तथापि, रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 227.81 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2070" -

(क) "आंचलिक परिषदें - अन्य आंचलिक परिषदें" - 50.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 13.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 63.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण 12.89 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) "विशेष जांच आयोग - अन्य आयोग" - 2413.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 194.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2607.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, सेवानिवृत्त कार्मिकों से वेतन की बकाया राशि की अदायगी के दावे प्राप्त न होने के कारण 124.24 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ग) "नागरिक सुरक्षा - राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज" - 143.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 168.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के न भरे जाने और कम दौरे किए जाने के कारण 22.83 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घ) "आप्रवास ब्यूरो - प्रवासियों को सेवा" - 5287.90 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 6287.90 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जांच चौकियों का आधुनिकीकरण किए जाने और उन्हें आपस में जोड़े जाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 680.24 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

obtaining supplementary grant of Rs.262.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.227.81 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(B) Major Head "2070" -

(a) "Zonal Councils – Other Zonal Councils" – the original provision of Rs.50.00 lakhs was augmented to Rs.63.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.13.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.12.89 lakhs – due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Special Commission of Inquiry – Other Commissions" – the original provision of Rs.2413.00 lakhs was augmented to Rs.2607.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.194.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.124.24 lakhs – due to non-receipt of claims from retired personnel for payment of arrear of pay.

(c) "Civil Defence – National Civil Defence College" - the original provision of Rs.143.00 lakhs was augmented to Rs.168.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.22.83 lakhs – due to non-filling of vacant posts and less tours undertaken.

(d) "Buereau of Immigration – Services to Migrants" – the original provision of Rs.5287.90 lakhs was augmented to Rs.6287.90 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.680.24 lakhs – due to non-finalisation of the proposal for modernisation and interlinking checkposts at International Border.

(ङ) ''राजभाषा'' -

(i) ''केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण'' - 870.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 297.20 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1167.70 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया के दावों का निपटान न किए जाने की वजह से वेतन पर कम व्यय होने के कारण 33.63 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) ''केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो'' - 393.55 लाख रु. के मूल प्रावधान को 137.35 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 530.90 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, किफायती उपायों के कारण 34.85 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(iii) ''अन्य स्कीमें'' - 1312.95 लाख रु. के मूल प्रावधान को 218.65 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1531.60 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 80.75 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(च) ''अन्य व्यय - आसूचना ब्यूरो'' - 43153.10 लाख रु. के मूल प्रावधान को 15605.80 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 58758.90 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 619.94 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''जनगणना'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - अधीक्षण'' - 2611.84 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1411.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4022.84 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने

(e) “Official Language” -

(i) “Teaching Hindi to Central Government Employees” - the original provision of Rs.870.50 lakhs was augmented to Rs.1167.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.297.20 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.33.63 lakhs – due to less expendiutre on salaries owing to non-settlement of arrear claims of retired employees.

(ii) “Central Transalation Bureau” - the original provision of Rs.393.55 lakhs was augmented to Rs.530.90 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.137.35 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.34.85 lakhs – due to economy measures.

(iii) “Other Schemes” - the original provision of Rs.1312.95 lakhs was augmented to Rs.1531.60 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.218.65 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.80.75 lakhs – due to requirement of less funds towards salary.

(f) “Other Expenditure – Intelligence Bureau” - the original provision of Rs.43153.10 lakhs was augmented to Rs.58758.90 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.15605.80 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.619.94 lakhs – due to non-filing up of vacant post and economy measures.

(C) Major Head “3454” - “Census” –

(a) “Direction and Administration - Superintendence” - the original provision of Rs.2611.84 lakhs was augmented to Rs.4022.84 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1411.00 lakhs

के कारण 557.65 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

which, however, remained unutilised to the extent of Rs.557.65 lakhs - due to to non-filling up of vacant posts.

(ख) ''जनगणना आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण - जनगणना आंकड़ों को संसाधित करने के लिए कंप्यूटर प्रणाली'' - 3326.87 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1400.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4726.87 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, सेवानिवृत्त कार्मिकों से वेतन तथा भत्ते के बकाया की अदायगी के दावे प्राप्त न होने के कारण 230.58 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Computerisation of Census Data-Computer System for Processing Census Data" - the original provision of Rs.3326.87 lakhs was augmented to Rs.4726.87 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1400.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.230.58 lakhs - due to non-receipt of claims for payment of arrears of pay and allowances from retired personnel.

(ग) ''अन्य व्यय'' -

(c) "Other Expenditure" –

(i) ''पृथक्करण और संकलन'' - 3034.41 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1110.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4144.41 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने और सेवानिवृत्त कार्मिकों से वेतन तथा भत्ते के बकाया के दावे प्राप्त न होने के कारण 304.09 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(i) "Abstraction and Compilation" - the original provision of Rs.3034.41 lakhs was augmented to Rs.4144.41 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1110.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.304.09 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of claims of arrear of pay and allowances from retired personnel.

(ii) ''पंजीकरण, संवर्धन पद्धति, अनुसंधान और जनसंख्या अध्ययन'' - 1847.07 लाख रु. के मूल प्रावधान को 530.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2377.07 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 195.50 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) "Registration, Promotion Method, Research and Population Studies" - the original provision of Rs.1847.07 lakhs was augmented to Rs.2377.07 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.530.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.195.50 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(iii) ''जनगणना आंकड़ों, मानचित्रकारी विश्लेषण का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए भारतीय क्षेत्रीय प्रभाग'' - 201.81 लाख रु. के मूल प्रावधान को 80.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 281.81 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, कुछ परियोजनाओं के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 20.60 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(iii) "Regional Division of India to Study and Evaluate Census Data, Cartographic Analysis" - the original provision of Rs.201.81 lakhs was augmented to Rs.281.81 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.80.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.20.60 lakhs - due to non-finalisation of proposal for some projects.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3454'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''जनगणना - अन्य व्यय'' -

(क) ''प्रकाशन'' - 160.82 लाख रु. की बचत (190.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इंटरनेट के उपयोग की वजह से जनगणना से पूर्व के कार्य से संबंधित रिपोर्टों का कम मुद्रण किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''जन्म-मरण आंकड़ा प्रणालियों में सुधार'' - 200.51 लाख रु. की बचत (1318.59 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लेखन सामग्री की मदों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सर्वेक्षण और सांख्यिकी - अन्य व्यय - राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर'' - 269.90 लाख रु. की बचत (270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पहचान-पत्र के प्रायोगिक रूप को अंतिम रूप दिए जाने मे विलंब होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अन्य प्रशासनिक सेवाएं - होम गार्ड - होम गार्डों के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति'' - 147.30 लाख रु. की बचत (4800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) होम गार्डों की तैनाती के लिए कुछ राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य प्रशासनिक सेवाएं - नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति'' - 121.91 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नागरिक सुरक्षा के लिए कुछ राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 98.55 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 99 प्रतिशत थी।

(IV) Under Major Head "3454" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Census – Other Expenditure" –

(a) "Publications" – saving of Rs.160.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.190.00 lakhs) was due to less printing of reports relating to pre census work owing to usage of internet.

(b) "Improvements in Vital Statistics Systems" - saving of Rs.200.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1318.59 lakhs) was due to requirement of less funds towards purchase of stationery items and economy measures.

(B) "Surveys and Statistics – Other Expendiutre - National Population Register" - saving of Rs.269.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 270.00 lakhs) was due to delay in finalising prototype of the Identity Card.

(V) Under Major Head "3601" – "Non-plan Grants" – savings occurred under the follwoing heads:-

(A) "Other Administrative Services – Home Guards – Reimbursement to States for Home Guards" – saving of Rs.147.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4800.00 lakhs) was due to non-receipt of claims for reimbursement from certain State Governments for deployment of Home Guards.

(B) "Other Administrative Services – Civil Defence – Reimbursement to States for Civil Defence" – saving of Rs.121.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-receipt of claims for reimbursement from certain State Governments for Civil Defence.

(VI) Under one head saving of Rs.98.55 lakhs occurred constituting 99 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (678.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक - संघवाद पर चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन'' के अंतर्गत 17623.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 678.98 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''जनगणना - अन्य व्यय - जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण'' - 254.13 लाख रु. का अधिक व्यय (31.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 94.40 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 2011 की जनगणना की तैयारी के लिए जीआईएस मानचित्रण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - अन्य अनुदान - असम में अवैध प्रवासी (निर्धारण) अधिकरण'' - 148.00 लाख रु. का अधिक व्यय (252.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशियों के निर्धारण के लिए अधिक अधिकरणों की स्थापना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3.(I) The above savings were partly (Rs.678.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.17623.00 lakhs under Major Head "2070" – "International Conference/Meeting – Fourth International Conference on Federalism". Actual excess, however, was Rs.678.98 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3454" – "Census – Other Expenditure – GIS based Town Mapping" – excess of Rs.254.13 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.94.40 lakhs including supplementary grant of Rs.31.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to carry out GIS Mapping for preparation of Census of 2011.

(B) Major Head "3601" – "Non-Plan Grants – Other Administrative Services – Other Grants – Illegal Migrants (Determination) Tribunals in Assam (IMDT)" - excess of Rs.148.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.252.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for establishment of more tribunal for the determination of foreigners.

(III) Under one head excess of Rs.100.00 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.

4. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2660.00	2374.37	2202.96	–171.41
पु.	R.	–285.63			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	3891.00	3116.25	2762.62	–353.63
पु.	R.	–774.75			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	472.00	350.00	342.17	–7.83
पु.	R.	–122.00			

(I) 250.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - भूमि अधिग्रहण - स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" के अंतर्गत एक मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मुंबई के कार्यालय एवं रिहायशी परिसर के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.250.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4059" – "General – Acquisition of Land – Narcotics Control Bureau" – due to non-avalaibility of land for construction of office-cum-residential complex of Narcotic Control Bureau, Mumbai.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज, नागपुर" के अंतर्गत 153.88 लाख रु. की बचत (154.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्कृष्टता केंद्र कालेज स्कीम के उन्नयन का विस्तार 2009-10 तक किए जाने संबंधी अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" – "General – Construction - National Civil Defence College, Nagpur" - saving of Rs.153.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 154.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for extension of upgradation of the college of centre for excellence scheme till 2009-10.

(III) मुख्य शीर्ष "4070" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "4070" – "Other Expenditure"– savings occurred under the following heads:-

(का) "गृह मंत्रालय" - 115.01 लाख रु. की बचत (408.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन की सुरक्षा से संबंधित स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Ministry of Home Affairs" - saving of Rs.115.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 408.00 lakhs) was due to non-finalisation of the scheme relating to security of the building.

(खा) ''जनगणना'' - 117.19 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से मशीनरी और उपस्करों संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Census" - saving of Rs.117.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 200.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for machinery and equipments owing to non-receipt of approval from the competent authority.

(गा) ''राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज'' - 144.83 लाख रु. की बचत (154.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कालेज भवन के उन्नयन की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "National Civil Defence College" - saving of Rs.144.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.154.00 lakhs) was due to non-receipt of sanction for upgradation of the college building.

(घा) ''राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज'' - 209.83 लाख रु. की बचत (230.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण देने के लिए उपस्करों की खरीद संबंधी स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(D) "National Fire Service College" – saving of Rs.209.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.230.00 lakhs) was due to non-receipt of sanction for purchase of equipments for imparting training.

(ङ) ''आप्रवास ब्यूरो'' - 312.79 लाख रु. की बचत (503.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आप्रवासी जांच चौकियों के लिए मशीनरी और उपस्करों की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(E) "Bureau of Immigration" - saving of Rs.312.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.503.00 lakhs) was due to to non-finalisation of proposal for purchase of machinery and equipment for immigration check posts.

(चा) ''आसूचना ब्यूरो'' - 297.85 लाख रु. की बचत (2329.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों की खरीद संबंधी अनुमोदन की प्राप्ति में विलंब होने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(F) "Intelligence Bureau" - saving of Rs.297.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2329.00 lakhs) was due to delay in receipt of approval for procurement of equipments and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - संरक्षितों के आवासों पर सुरक्षा से संबंधित निर्माण कार्य'' के अंतर्गत 129.83 लाख रु. की बचत (472.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संरक्षितों की सूची में कोई विशेष वृद्धि न होने की वजह से संरक्षितों के निवास पर कम निर्माण कार्य किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings - Other Housing - Security related works at the residences of protectees"– saving of Rs.129.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.472.00 lakhs) was due to less construction work at the residence of the protectees owing to no substantial addition to the list of protectees.

5. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 70.05 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 117 प्रतिशत थीं।

5. The above savings were partly offset by an excess of Rs.70.05 lakhs under one head constituting 117 percent of the sanctioned provision.